

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
उत्तराखण्ड, यथा- चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी,  
टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 नवम्बर, 2017

विषय- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन, 2015) (समय समय पर यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0, दिनांक 12 जून, 2015 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) निर्गत करते हुए विकास प्राधिकरणों को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) (समय-समय पर संशोधित यथा-2016, 2017) को बोर्ड से अंगीकृत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव